

**घंटों के अनुसार निर्धारित पारिश्रमिक पर किए गए करार के आधार पर बैंक द्वारा नियुक्त किए गए चिकित्सा सलाहकार (बीएमसी) के लिए आचार संहिता**

1. बैंक का प्रत्येक चिकित्सा सलाहकार उन सभी आदेशों और निर्देशों का पालन करेगा, जो समय-समय पर उन्हें किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा दिए जा सकते हैं, जिनके अधिकार क्षेत्र, अधीक्षण या नियंत्रण में उल्लिखित समय में वह कार्य कर रहा है।
  2. बैंक का प्रत्येक चिकित्सा सलाहकार बैंक के मामलों और उसके घटकों के मामलों के संबंध में कठोरतम गोपनीयता बनाए रखेगा और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गोपनीय प्रकृति की किसी भी जानकारी को जनता के किसी सदस्य या बैंक के स्टाफ को नहीं बताएगा, जब तक कि न्यायिक या अन्य प्राधिकरण द्वारा ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया, या जब तक कि बैंक के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में ऐसा करने का निर्देश न दिया गया हो। किसी भी बैंक का चिकित्सा सलाहकार बैंक की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के मामलों से संबंधित किसी भी सामग्री, जो बैंक के चिकित्सा सलाहकार के रूप में क्षमता में उसके पास आ सकती है, को मीडिया में जाहिर नहीं करेगा और न ही कोई दस्तावेज़, कागज़ातों, या जानकारी को प्रकाशित करेगा। किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुए किसी भी नुकसान के लिए बैंक का चिकित्सा सलाहकार बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा।
  3. बैंक का प्रत्येक चिकित्सा सलाहकार ईमानदारी और निष्ठा से बैंक की सेवा करेगा और बैंक के हितों को बढ़ावा देने के लिए अपना अधिकतम प्रयास करेगा और सभी लेनदेन में शिष्टाचार और ध्यान दिखाएगा।
  4. कोई भी बैंक का चिकित्सा सलाहकार राजनीति या किसी राजनीतिक प्रदर्शन में सक्रिय भाग नहीं लेगा या नगर परिषद, जिला बोर्ड या किसी विधान निकाय के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए खड़ा नहीं होगा।
  5. बैंक का कोई भी चिकित्सा सलाहकार किसी ट्रेड यूनियन या इस तरह के ट्रेड यूनियन के किसी फेडरेशन का सदस्य या पदाधिकारी नहीं बनेगा या उसका सदस्य या पदाधिकारी नहीं रहेगा, या अन्यथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा नहीं होगा या किसी भी तरह का सहारा नहीं लेगा, या किसी भी तरह से प्रेरित नहीं होगा। अपने करार के नियमों और शर्तों से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में हड़ताल के रूप में या किसी भी हिंसक, अनुचित या अभद्र प्रदर्शन में भाग लेना।
  6. बैंक का चिकित्सा सलाहकार किसी कर्मचारी से कोई उपहार नहीं मांगेगा या स्वीकार नहीं करेगा।
  7. बैंक का चिकित्सा सलाहकार बैंक की अनुमति के बिना और उसकी अनुपस्थिति के दौरान बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित नहीं होगा। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था एक बार में पांच दिनों से अधिक नहीं होगी।
  8. बैंक का चिकित्सा सलाहकार अपनी सेवा बैंक को आउटसोर्स नहीं करेगा।
  9. बैंक का चिकित्सा सलाहकार:
    - क. किसी भी क्षेत्र में, जिसमें वह कुछ समय के लिए मौजूद हो सकता हो, उस क्षेत्र के लिए यथालागू मादक पेय या नशीली दवाओं से संबंधित किसी भी कानून का सख्ती से पालन करेगा।
    - ख. ड्यूटी के दौरान किसी नशीले पेय या नशीली दवाओं के प्रभाव में नहीं होंगे और यह भी ध्यान रखेंगे कि किसी भी समय उनके कर्तव्यों का प्रदर्शन ऐसे पेय या नशीली दवाओं के प्रभाव से किसी भी तरह से प्रभावित न हो;
    - ग. सार्वजनिक स्थान पर, किसी भी नशीले पेय या नशीली दवाओं के सेवन से बचना;
    - घ. सार्वजनिक स्थान पर नशे की हालत में न दिखाई दें और
    - ड. किसी भी मादक पेय या दवा का अति से अधिक मात्रा में उपयोग न करें।
- स्पष्टीकरण: शब्द "सार्वजनिक स्थान" में क्लब शामिल होंगे, यहां तक कि विशेष रूप से सदस्यों के लिए भी, जहां सदस्यों के लिए गैर-सदस्यों को अतिथि, बार और रेस्तरां, सार्वजनिक वाहन और अन्य सभी स्थानों पर आमंत्रित करने की अनुमति है जहां जनता के पास है या अनुमति है पहुंच है, चाहे यह व्यवस्था भुगतान पर की गई हो या अन्यथा हो।

10. बैंक का चिकित्सा सलाहकार कार्यस्थल पर किसी भी महिला के यौन उत्पीड़न के किसी भी कार्य में शामिल नहीं होगा।

स्पष्टीकरण: इस उद्देश्य के लिए, "यौन उत्पीड़न" में इस तरह के अवांछित यौन रूप से निर्धारित व्यवहार शामिल होंगे, चाहे सीधे या निहितार्थ के रूप में:

- क. शारीरिक संपर्क और अनुरोध,
- ख. यौनिक दुराग्रह की मांग या अनुरोध,
- ग. अश्लील टिप्पणियां
- घ. अश्लीलता का प्रदर्शन
- ड. यौन प्रकृति के किसी भी अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण के अलावा, ऐसी सभी परिभाषा/व्याख्या जो कानून/कानूनों में लागू हो।

11. यदि बैंक के चिकित्सा सलाहकार को ऋण या आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किया जाता है या कानून की किसी प्रक्रिया के अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है, तो करार समाप्त किया जा सकता है।

12. बैंक के चिकित्सा सलाहकार चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य के लिए किसी रोगी को संदर्भित करने, सिफारिश करने या प्राप्त करने के लिए किसी भी उपहार, उपदान, कमीशन या बोनस को न तो मांगेंगे, न ही प्राप्त करेंगे और न ही देने या प्राप्त करने की पेशकश करेंगे। वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग नहीं लेगा या चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य उपचार के लिए किसी भी शुल्क के विभाजन, स्थानांतरण, असाइनमेंट, अधीनता, छूट, विभाजन या वापसी के कार्य में भाग नहीं लेगा।

13. उपरोक्त 12 में प्रावधान उसके या उसके द्वारा या किसी भी व्यक्ति, नमूना या सामग्री को नैदानिक उद्देश्यों या अन्य अध्ययन / कार्य के लिए संदर्भित करने, सिफारिश करने या खरीदने के लिए समान अधिकार के साथ लागू होगा।

14. यदि बैंक का चिकित्सा सलाहकार ऊपर उल्लिखित बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता है या उसके द्वारा स्वीकार किए गए करार के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करता है, लापरवाही, अक्षमता या आलस्य प्रदर्शित करता है, या जानबूझकर कुछ भी ऐसा करता है जो बैंक के हितों के लिए हानिकारक है या उसके निर्देशों के विपरीत है या कदाचार के किसी अन्य कार्य के लिए दोषी पाया जाता है, तो करार समाप्त किया जा सकता है।